न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या —21/2018 (अपील)

GCMS No.- 2018/00530

1. श्रीमति नट्टी बाई पुत्री स्व. श्री किशना, पत्नि श्री लालू जाति भील निवासी भीतरिया कुण्ड शिवपुरा कोटा (राज0)

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. मूलचन्द मीणा आत्मज श्री सीताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी गली नं0—2 रंगबाडी, कोटा, कोटा—राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व विनिमय आदेश क्रमांक भू/अभि/2016/13482 दिनांक 25.8.2016 तहसीलदार (भू—अभि0) लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः—

1.श्री चन्द्रशेकर कक्कड़, अभिभाषक अपीलांट

2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक— 16.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम बालीता में स्थित नट्टी बाई भील एवं मूलचन्द मीणा की स्थित भूमियों का विनिमय आदेश क्रमांक/भू/अभि0/2016/13482 दिनांक 25.8.2016 से जारी किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्टा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2018 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई स्व. रामदेव पुत्र श्री किशना के खाते की कृषि आराजी वाके ग्राम बालीता, पटवार हल्का सकतपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाडपुरा की खसरा नम्बर 904/335 रकबा 0.53 हे0 है । उक्त आराजी बाबत छल पूर्वक रेस्पोडेन्ट क्रम—1 द्वारा आदेश दिनांक 25.8.2016 जेर अपील पारित करवा लिया है एवं वर्णित खसरा नम्बर पर आदेश जेर अपील की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम बहैसियत खातेदार अंकित कर दिया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश जेर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि विनिमय आदेश जिन खसरा नम्बर 904/335 एवं 946/335 बाबत पारित किया है उनका रकबा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

समान नहीं है और ना ही आदेश जेर अपील पारित करने के पूर्व रकबे में अन्तर के बाबत कोई डी.एल.सी. दर से शुल्क जमा राज करवाया गया और बिना शुल्क जमा कराये राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया गया एवं उपरोक्त भूमि में रकबे के अन्तर्गत की क्षतिपूर्ति राशि का भी निर्धारण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं किया गया अपीलान्ट के खाते की जमीन खसरा नम्बर 946 /335 रकबा 0.53 हे0 के खातेदार अपीलान्ट व अपीलान्ट का भाई स्व. श्री रामदेव थे एवं उक्त आदेश रामदेव की मृत्यु के उपरांत रामदेव के विरूद्व पारित किया गया है । अपीलान्ट एक वृद्व अनुसूचित जन जाति की अशिक्षित महिला है एवं अपीलान्ट के द्वारा कभी भी उपरोक्त वर्णित भूमि के विनिमय बाबत अपनी सहमति नहीं दी है और जेर अपील आदेश में वर्णित विनिमय डीड दिनांक 16.5.2016 भी आलेखित नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा छल पूर्वक जेर अपील विनिमय आदेश पारित करवाया है । आदेश जेर अपील रेस्पोडेन्ट के द्वारा छल पूर्वक अपीलान्ट के परिवार के सदयों के नाम मिलीभगत करके अपीलान्ट के भाई श्री रामदेव की अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए अपीलान्ट के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए पारित करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । जेर अपील आदेश वास्तव में प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि उक्त आदेश मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही पारित कर दिया है । इसलिये ऐसे शून्य आदेश की अपील हेतु विधि की असली मंशा के मुताबिक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा का विनिमय आदेश क्रमांक/भू/अभि0/2016/13482 दिनांक 25.8.2016 सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को की तलबी हेतु नोटिस तलब किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी बाबत छल पूर्वक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा आदेश दिनांक 25.8.2016 जेर अपील पारित करवा लिया है एवं वर्णित खसरा नम्बर पर आदेश जेर अपील की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम बहैसियत खातेदार अंकित कर दिया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश जेर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि विनिमय आदेश जिन खसरा नम्बर 904/335 एवं 946/335 बाबत पारित किया है उनका रकबा समान नहीं है और ना ही आदेश जेर अपील पारित करने के पूर्व रकबे में अन्तर के बाबत कोई डी.एल.सी. दर से शुल्क जमा राज करवाया गया और बिना शुल्क जमा कराये राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया गया एवं उपरोक्त भूमि में रकबे के अन्तर्गत की क्षतिपूर्ति राशि का भी निर्धारण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं किया गया अपीलान्ट के खाते की जमीन खसरा नम्बर 946 /335 रकबा 0.53 हे0 के खातेदार अपीलान्ट व अपीलान्ट का भाई स्व. श्री रामदेव थे एवं उक्त आदेश रामदेव की मृत्यु के उपरांत रामदेव के विरूद्व पारित किया गया है । अपीलान्ट एक वृद्व अनुसूचित जन जाति की अशिक्षित महिला है एवं अपीलान्ट के द्वारा कभी भी उपरोक्त वर्णित भूमि के विनिमय बाबत अपनी

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

सहमति नहीं दी है और जेर अपील आदेश में वर्णित विनिमय डीड दिनांक 16.5.2016 भी आलेखित नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा छल पूर्वक जेर अपील विनिमय आदेश पारित करवाया है । आदेश जेर अपील रेस्पोडेन्ट के द्वारा छल पूर्वक अपीलान्ट के परिवार के सदयों के नाम मिलीभगत करके अपीलान्ट के भाई श्री रामदेव की अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए अपीलान्ट के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए पारित करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का सकतपुरा की रिपोर्ट दिनांक 22.6.2016 को भी नजरअंदाज किया गया है । पटवारी हल्का द्वारा रकबा कमी बेशी होना अंकित किया है तथा सभी खातेदार की सहमति पश्चात ही विनिमय किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करके त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बालीता के खसरा नम्बर 946/335 की 0.5200 हे0 नहरी प्रथम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी, किन्तु न्यायालय के आदेश उपरान्त भूमि का विभाजन कर नामान्तकरण दर्ज किया गया उसमें सहवन से ख0नं0 गलत अंकित कर दिए गये तत्पश्चात अपीलान्टा स्वयं द्वारा दिनांक 11.5.2016 को विनिमय पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त आवेदक मौके पर जिस जगह काबिज है उसी के अनुरूप विनिमय प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर विनिमय प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, उसी अनुरूप विनिमय आदेश क्रमांक/13482 दिनांक 25.8.2016 जारी किया गया है । जो अपीलान्टा स्वयं की सहमति से ही किया गया है । अपील निराधार होने से खारिज योग्य है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा हमारा ध्यान राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24 कक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया जिस अनुसार "एक ही वर्ग के आसामियों के द्वारा जो राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करते हो, भूमि का विनिमय, ऐसे आसामियों की लिखित में पारस्परिक सहमति से उस तहसील के तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है ।"

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के विनिमय आदेश क्रमांक/भू–अभि0/13482 दिनांक 25.8.2016 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 6.3.2018 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश की है । लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि जेर अपील आदेश वास्तव में प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि उक्त आदेश मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही छल पूर्वक पारित कर दिया है इसलिये ऐसे शून्य आदेश की अपील हेतु विधि की असली मंशा के मुताबिक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु उक्त शून्य आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट कम–1 प्रार्थीया की आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिये विधि की असली मंशा के अनुरूप उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील उक्त आदेश दिनांक 25.8.2016 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, इसलिये अपील सद्भाविक रूप से प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

की गई है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक कारणवश होने से क्षमा किये जाने योग्य है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कोई खण्डन एवं कानूनी तथ्य पेश नहीं किये है, जिससे अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जा सकें । हमने लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर गौर किया तथा न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कन्डोन किया जाता है ।

7. प्रस्तुत अपील में वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा छल पूर्वक ग्राम बालीता स्थित ख0नं0 904/335 रकबा 0.53 हे0 का विनिमय आदेश करवा लिया है, जबकि उक्त भूमि वक्त विनिमय आदेश के अपीलांटा एवं अपीलांटा के भाई रामदेव के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा रामदेव की मृत्यु होने पर रामदेव के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना चाहिये था । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें आदेशिका दिनांक 10.8.2016 में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह अंकित किया है कि एक सह खातेदार रामदेव की मृत्यु हो चुकी है तथा वसीयत के आधार पर नट्टी बाई द्वारा ही इन्तकाल खोलने का आवेदन तहसील में प्रस्तुत किया है, रामदेव का यदि अन्य कोई वारिश है तो वह आज तक उपस्थित नहीं हुआ है । तथा नट्टी बाई द्वारा ही यह विनिमय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने से अपीलांट नट्टी बाई इस अपील में क्लीन हेण्ड नहीं आई है । ऐसी स्थिति में यह अपील आधारहीन प्रतीत होती है ।

8. परिणामतः अपीलांट स्वयं द्वारा रामदेव के हिस्से का वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने हेतु तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वयं नट्टी बाई द्वारा ही तहसील में विनिमय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील में क्लीनहेण्ड नहीं आने से अपील अपीलांट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner